

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 26/5-2004 S-I (1) दिनांक, चण्डीगढ़ 12.8.2004

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्या भारती पब्लिक स्कूल, गंगवां ( हिसार) को कक्षा 1 से 10वीं तक को सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 26/5-2004 S-I (1) दिनांक, 3.8.2004 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 51/HSR/10<sup>TH</sup>/CBSE/2004 है।

आर० बी० लांगायन  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक, चण्डीगढ़ 13-8-04

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. प्रबन्ध समिति, विद्या भारती एजुकेशन सोसाईटी, साकेत कालोनी, हिसार।
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
4. मास्टर फाईल।

ऑफीसर इन्चार्ज विद्यालय/-।  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

For Vidya Bharti Edu. Society

  
Secretary

D:\AOS1\mointoring cell\issued noc\vidiya bharti hisar doc



Principal  
Vidya Bharti Public School  
Gangwa Rajgarh Haryana